UPVR010055252022

न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–01, वाराणसी

उपस्थित– किरन पाल सिंह (एच0जे0एस0)

जे0ओ कोड संख्या– यू0पी0 5906

प्रकीर्ण वाद संख्या–353/2022

1– अनवरी बेगम पत्नी अब्दुल सलाम

2– एनामुल हसन पुत्र अब्दुल सलाम

निवासीगण–म0नं0–ए.35/20–9 एक्स मोहल्ला–जलालीपुरा, वार्ड आदमपुर शहर वाराणसी **–––तजवीजसानीगण**

बनाम

हाफिज मुर्सलीम पुत्र शफीमुज्जमा रंगवाले निवासी–म0नं0–ए35/20–3–3–क मोहल्ला जलालीपुरा, वार्ड आदमपुर, शहर वाराणसी **–विपक्षी/वादी**

———————————————————————————————

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 4ग तजवीजसानीकर्तीगण की ओर से अंतर्गत धारा–151 व्यवहार प्रकिया संहिता के अन्तर्गत मुतफर्का वाद संख्या–11/2018 अनवरी बेगम आदि बनाम हाफिज मुर्सलीम में पारित आदेश दिनांकित 16.08.2019 को निरस्त करके मुतफर्का वाद संख्या–11/2018 रमजान बनाम मुर्सलीम को अपने मूल नंबर पर कायम किये जाने हेतु संस्थित किया गया है।

प्रार्थना पत्र 4ग में तजवीजसानीकर्ती द्वारा कथन किया गया है कि मुब0 480/–रूपया हर्जे पर दिनांक 26.08.2019 को स्वीकार करके पत्रावली मूल नम्बर पर कायम किये जाने का आदेश पारित किया गया है। तजवीजसानीगण मुस्लिम धर्मशास्त्र की अनुयायी होने के कारण धार्मिक अनुष्ठान हेतु सऊदी अरब चली गयी थी। इसलिए उनके अधिवक्ता द्वारा दिनांक 16.08.2019 को हर्जा की धनराशि अदा नही किया गया। वे बृद्ध महिला है तथा बीमार होने के कारण अपने पूर्व अधिवक्ता से सम्पर्क नही कर सकी। इसी कारण उन्हें उक्त आदेश की जानकारी नही हुई। वे हर्जे की रकम 480/–रूपया जमा करने के लिये तैयार व तत्पर है। उनके द्वारा बिना विलम्ब किये उक्त आदेश खारिजा की नकल प्राप्त करके यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में कोई देरी नही की गयी है। यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसे धारा–5 मियाद कानून का लाभ प्रदान करके आदेश दिनांक 16.08.2019 निरस्त करके मुकदमा मूल नंबर पर कायम किया जाये। दिनांक 16.04.2022 को कोर्ट अमीन जब उनके घर पर आये तो हर्जा अदायगी के आदेश की जानकारी हुई।

विपक्षी की तरफ से आपत्ति 10ग प्रस्तुत करके प्रार्थना पत्र 4ग के कथनों से इन्कार किया। मुतफर्का वाद संख्या–13/2015 दिनांक 14.08.2018 को खारिज हो जाने के बाद मुतफर्का वाद संख्या–11/2018 रमजान

Digitally signed by KIRAN PAL SINGH
Date: 2022.09.20 15:28:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उर्फ अब्दुल सलाम बनाम हाफिज मुरसलीन में दिनांक 16.08.2019 को न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनकर आदेश पारित किया है क्यों कि तजवीजसानीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 12घ प्रस्तुत करके हर्जा अदायगी के बाबत समय की मांग की गयी जिस पर उसकी ओर से आपत्ति 13ग दाखिल कर मुतफर्का वाद खारिज करने की याचना की गयी। दोनों पक्षों को सुनकर मेरिट के आधार पर आदेश दिनांक 16.08.2019 पारित किया है। न्यायालय के आदेश दिनांक 25.07.2019 के अनुपालन के अभाव में प्रकीर्ण वाद 11/2018 खारिज माना है। तजवीजसानीगण की ओर से न्यायालय में दाखिल मुतफर्का वाद संख्या–32/2019 रमजान उर्फ अब्दुल सलाम आदि बनाम हाफिज मुरसलीन धारा–151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता धारा–5 कानून मियाद अधिनियम के तहत दिये गये प्रार्थना पत्र को न्यायालय ने दिनांक 26.02.2020 को खारिज कर दिया। तजवीजसानीगण का कोई भी रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र एकपक्षीय रूप से खारिज नही हुआ है और मेरिट पर पारित आदेश के विरूद्ध रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पोषणीय व ग्राह्य नही है। प्रश्नगत आदेश दिनांक 16.08.2019 के विरूद्ध तजवीजसानीगण को रिवीजन या रिट का उपचार माननीय उच्च न्यायालय में प्राप्त है। इसलिये धारा–151 सी0पी0सी0 का प्राविधान लागू नही होता है। तजवीजसानीगण द्वारा पूर्व में दाखिल प्रार्थना पत्र धारा–151 सी0 पी0 सी0 प्रकीर्ण वाद संख्या–32/2019 रमजान उर्फ अब्दुल सलाम वगैरह बनाम हाफिज मुरसलीन दिनांक 26.02.2020 को खारिज कर दिया है जिसे छिपाकर न्यायालय को गुमराज करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 4ग दिनांकित 06.05. 2022 धारा–151 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया है जो ग्राह्य व पोषणीय नही है प्रार्थना पत्र 4ग त्रुटिपूर्ण है तथा आदेश दिनांक 13.05.2022 के अनुसार त्रुटियों का निवारण भी नही किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र 4ग पोषणीयता के स्तर पर सव्यय निरस्त किया जाय।

विपक्षी मुरसलीन की तरफ से आपत्ति 10ग के साथ सूची 12ग से 16 अदद अभिलेख विभिन्न आदेशों की छाया प्रतियां दाखिल की गयी है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना गया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया।

मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि विपक्षी हाफिज मुरसलीम द्वारा तजवीजसानीगण के विरूद्ध मूलवाद संख्या 44/2006 इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था जो कि दिनांक 19–7–2013 को एकपक्षीय रूप से निर्णीत किया गया। उपरोक्त एकपक्षीय निर्णय को अपास्त किये जाने के लिए तजवीजसानीगण द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. दिनांक 27–5–2015 को योजित किया गया जो प्रकीर्ण वाद संख्या 13/2015 के रूप में दर्ज हुआ।

उपरोक्त प्रकीर्ण वाद संख्या 13/2015 दिनांक 14–8–2018 को अदम पैरवी में खारिज हो गया। उसके पश्चात तजवीजसानी रमजान उर्फ अब्दुल सलाम की तरफ से प्रकीर्ण वाद संख्या 11/2018 उपरोक्त आदेश दिनांकित 14–8–2018 को अपास्त किये जाने और प्रकीर्ण वाद संख्या 13/2015 को पुर्नस्थापित किये जाने हेतु योजित किया गया।

प्रकीर्ण वाद संख्या 11/2018 में दिनांक 25–7–2019 को निम्नलिखित

आदेश पारित किया गयाः—

'' प्रार्थनापत्र 4ग 480/—(चार सौ अस्सी) रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। हर्जा अदायगी तीन दिन में प्रार्थी द्वारा सुनिश्चित की जाय। हर्जा अदायगी के अधीन प्रकीर्ण वाद संख्या 13/2015 रमजान बनाम मुर्सलीम में पारित आदेश दिनांकित 14—8—2018 अपास्त किया जाता है। परिणाम स्वरूप प्रकीर्ण वाद संख्या 13/2015 पुर्नस्थापित होकर वास्ते निस्तारण दिनांक 16—8—2019 को पेश हो ''।

उपरोक्त आदेश पारित होने के उपरान्त दिनांक 16—8—2019 तक हर्जा अदा न किये जाने के परिणाम स्वरूप न्यायालय द्वारा वाद संख्या 11/2018 को खारिज होने की अवधारणा की गयी और उपरोक्त आदेश पारित करते समय निम्नलिखित अभिमत व्यक्त किया गयाः—

'' प्रार्थी की तरफ से प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र में यह नहीं वर्णित है कि प्रार्थी की तरफ से उसके घर का कोई अन्य व्यक्ति पैरवी करने में सक्षम नहीं है अथवा उसके द्वारा उसकी तरफ से हर्जा राशि अदा नहीं की जा सकती है। प्रश्नगत प्रकरण में कुल तीन प्रार्थीगण हैं। जो पुर्नस्थापन प्रार्थनापत्र दिनांक 25—7—2019 को निस्तारित हुआ उसमें भी हज की तैयारी करने को ही आधार बनाया गया था तथा विपक्षी की तरफ से मात्र हर्जे के लिए प्रार्थनापत्र का विरोध करने पर न्यायालय द्वारा लचीला रूख अपनाते हुए पुर्नस्थापन प्रार्थना पत्र हर्जे पर स्वीकार किया गया किन्तु इसके बावजूद भी प्रार्थी की ओर से अल्प हर्जे की राशि 480/—रू0 निर्धारित समय सीमा के अन्दर सुनिश्चित नहीं की गयी।

प्रकीर्ण वाद संख्या 13/2015 भी विलम्ब क्षमा करने से संबंधित प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत किया गया था जिसकी पैरवी करना जब प्रार्थी ने छोड़ दिया तब उस दशा में वह प्रकीर्ण वाद अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। प्रकीर्ण वाद संख्या 13/2015 में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के माध्यम से प्रार्थी मूलवाद संख्या 44/2006 में पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 19—7—2013 को अपास्त कराना चाहता है।

तजवीजसानीगण द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या 13/2015 की कार्यवाही में अनुपस्थित हो जाने तथा पारित आदेश दिनांक 25—7—2019 के अनुपालन में अल्प हर्जा राशि 480/—रू0 अदा न करने की स्थिति में यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का वास्तविक उद्देश्य वाद लड़ना नहीं बल्कि न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करना है। यदि प्रार्थी को दिनांक 25—7—2019 को पारित आदेश के माध्यम से अधिरोपित हर्जा राशि 480/—रू0 अदा करने हेतु एक माह का आगे अवसर प्रदान किया जाता है तो यह प्रक्रिया का खुला दुरूपयोग होगा। अतः ऐसी दशा में न्यायहित में प्रार्थनापत्र 12घ खारिज करते हुए प्रार्थनापत्र 13ग स्वीकार किये जाने योग्य है ''।

पक्षकारों की उपस्थिति में आदेश दिनांकित 25—7—2019 पारित किया गया था और आदेश दिनांकित 16—8—2019 के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 12घ के माध्यम से हर्जाने की राशि अदा करने के लिए एक माह का समय याचित किया गया था। पत्रावली पर संलग्न प्रार्थनापत्र 12घ में यह उल्लिखित किया गया है कि तजबीजसानीगण

हज हेतु गये थे। उल्लेखनीय है कि प्रकीर्ण वाद संख्या 11/2018 में तीन व्यक्ति रमजान, अनवरी बेगम व सनामुल हसन प्रार्थी थे और 12घ में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि तीनो ही व्यक्ति हज पर गये थे अथवा कोई एक व्यक्ति। यहां तक कि उनके हज पर जाने की तिथि का भी उल्लेख नहीं है।

इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 16–8–2019 को खण्डित करने के लिए प्रस्तुत वर्तमान प्रार्थनापत्र में भी समस्त प्रार्थीगण के हज जाने अथवा उनके हज पर जाने के समय का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रश्नगत आदेश के परिशीलन से भी स्पष्ट है कि विधि में सन्निहित सहानुभूति का पूरा लाभ प्रार्थीगण को आदेश दिनांकित 25–7–2019 में प्रदान किया गया और 16–8–2019 का आदेश पारित करने से पूर्व भी प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त सहानुभूति का लाभ लिया गया।

वर्तमान मामले में यदि प्रार्थीगण का आचरण देखा जाय तो परिलक्षित होता है कि मूलवाद संख्या 44/2006 दिनांक 8–12–2006 को योजित किया गया था और उक्त वाद में एकपक्षीय कार्यवाही 25–4–2007 को अग्रसारित की गयी थी और प्रार्थीगण की तरफ से एकपक्षीय आदेश को अपास्त किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 38ग दिनांकित 31–4–2011 भी दिनांक 18–8–2012 को निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद एकपक्षीय डिक्री अपास्त किये जाने के लिए प्रार्थनापत्र निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत प्रस्तुत नहीं किया गया और उक्त विलम्ब को क्षमा करने के लिए प्रार्थनापत्र 6ग प्रस्तुत किया गया। कालान्तर में उपरोक्त दर्ज प्रकीर्ण वाद संख्या 13/2015 भी दिनांक 14–8–2018 को अदम पैरवी में निरस्त हुआ।

तजवीजसानीगण को न्यायालय द्वारा विधि में व्याप्त सहानुभूति का लाभ दिया गया है परन्तु तजवीजसानीगण उक्त सहानुभूति का अनावश्यक लाभ लेकर मामले को विलम्बित करने में रूचि रखते हैं और यह तथ्य भी परिलक्षित होता है कि हज पर जाने व आने के कागजात को भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किया गया और न ही दाखिल किया गया कि उक्त तीनों तजवीजसानीगण किस तिथि को हज पर गये और हज से कब वापस बनारस आये।

तजवीजसानीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 4ग में प्रकीर्ण वाद संख्या–11/2018 रमजान उर्फ अब्दुल सलाम व अन्य बनाम हाफिल मुसरलीम में पारित आदेश दिनांक 26.08.2019 मु0 480/–रूपये हर्जे पर स्वीकार करके पत्रावली मूल नंबर पर कायम किये जाने का कथन किया है। जब कि उक्त प्रकीर्ण वाद उभय पक्षों को सुनकर अन्तिम रूप से दिनांक 26.02.2020 को निर्णीत कर दिया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध तजवीजसानीगण द्वारा कोई कथन प्रार्थना पत्र 4ग में नही किया है। प्रार्थना पत्र 4ग अनवरी बेगम व एनामुल हसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और प्रकीर्ण वाद संख्या–11/2018 रमजान उर्फ अब्दुल सलाम द्वारा साथ में अनवरी बेगम व एनामुल हसन को पक्षकार बनाते हुए प्रस्तुत किया गया था। इससे यह स्पष्ट है कि तजवीजसानीगण द्वारा बार बार नाम बदल कर प्रकीर्ण वाद विलम्ब से प्रस्तुत किया जा रहा है जिसमें कोई सत्यता प्रतीत नही होती है। अतः प्रार्थना पत्र 4ग निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 4ग निरस्त किया जाता है। आपत्ति तदनुसार निस्तारित की जाती है। पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांकः 19.09.2022

(किरन पाल सिंह)
अपर जनपद न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–1, वाराणसी